प्रगतिशील राष्ट्रीय पाक्षिक

संस्थापक स्व. श्री ठाकुरदासजी खुजनेरी

मालव समाचार

इंदौर | वर्ष : 61 ■ अंक 11 ■ 15 अप्रैल 2025 ■ पृष्ठ-12 ■ मूल्य - 3.00 | प्रकाशन के 6 दशक

अवैध निर्माण किया तो होगी जेल

मोहन सरकार ला रही नया कानून

» 10 साल की सजा और 50 लाख का जुर्माना

» 2016 से पहले की कॉलोनियां ही होंगी नियमित

मध्यप्रदेश में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के नियम अब और ज्यादा सख्त होने वाले हैं। डॉ. मोहन यादव सरकार नगर पालिका एक्ट में बदलाव करने जा रही है। संशोधित कानून में अवैध कॉलोनी बनाने पर 10 साल की सजा और 50 लाख जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि एक महीने में नया कानून प्रभावी हो जाएगा। इसके साथ ही सरकार 2016 से पहले की अवैध कॉलोनियों को वैध करने पर भी विचार कर रही है, लेकिन इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

विशेष रिपोर्ट
पेज 6-7-8

बिल्डर, कॉलोनाइजर का लाइसेंस होगा सस्पेंड

बिहार में बीजेपी का महाराष्ट्र वाला प्लान?

चुनाव से पहले अटैकिंग मोड में अमित शाह, दिग्गजों को भी उतारेगी चुनाव में

पेज- 09

फिर मजबूत हो रहे बीजेपी-संघ के रिश्ते!

बीजेपी और आरएसएस ने 2029 के चुनावों के लिए अपने रिश्तों को मजबूत करते हुए एक साझा रणनीति तैयार की

पेज- 05

निगम-मंडलों में नियुक्ति का फॉर्मूला तय!

छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में भी शुरू हो जाएंगी नियुक्तियां, भाजपा संगठन में पद नहीं मिलने वाले नेता भी होंगे सरकार में एडजस्ट, कांग्रेस से भाजपा में आए नेता बनेंगे दर्जा प्राप्त मंत्री

पेज- 03

छत्तीसगढ़ में चुनाव हारने वालों को निगम मंडल में पद

गौरीशंकर ने पद ठुकराया, कहा... मैं इस लायक नहीं, ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन-फिल्म विकास निगम पर फैसला नहीं

पेज- 10

वक्फ बिल पारित होने के बाद बिहार चुनाव से पहले जेडीयू का विधेयक को सपोर्ट अहम

एनडीए में दिख रहे नए राजनीतिक समीकरण

बीजेपी के 'चाणक्य' ने ऐसा कौन सा दांव चला कि सहयोगी दल वक्फ बिल पर ना नहीं बोल पाए

पेज- 11

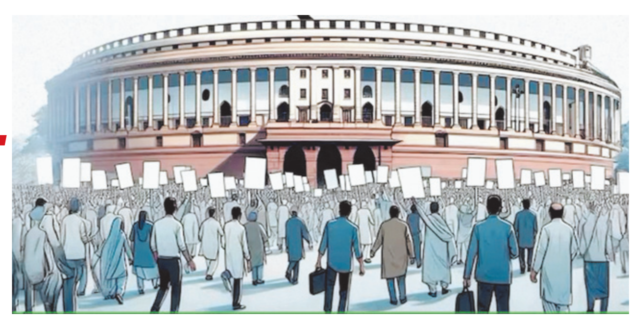

गलत फहमी बहुत थी कि अपने बहुत हैं,
पीछे मुड़कर देखा तो एक साया ही हमसफर निकला।।

सांस्कृतिक विरासत की गरिमा के संरक्षण का

अभूतपूर्व निर्णय

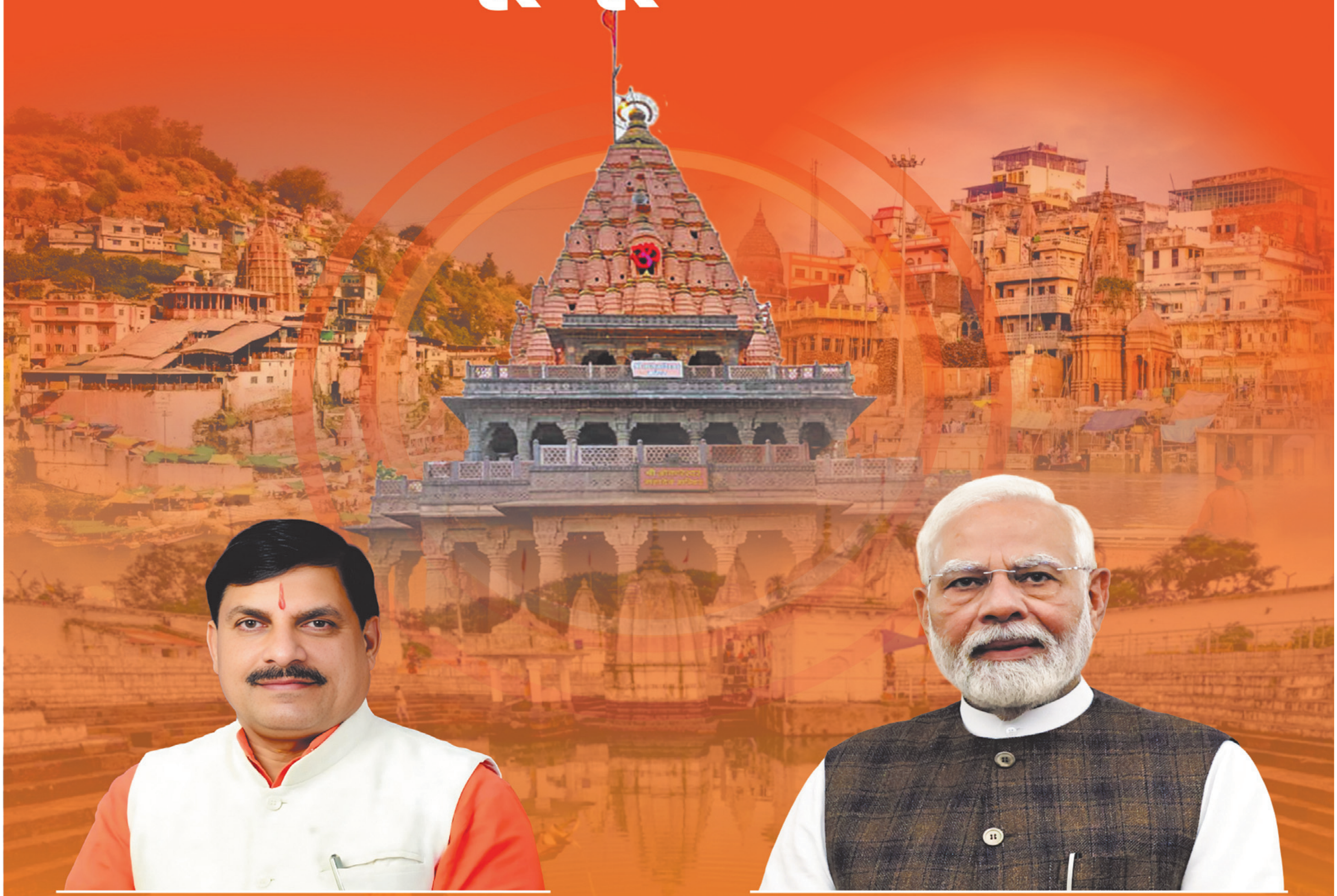

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रदेश की 19 धार्मिक नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में

शराब की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित

- धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों की पवित्रता को बनाए रखने की पहल
- नर्मदा नदी के 5 किलोमीटर क्षेत्र में पूर्व से लागू मद्य निषेध रहेगा जारी
- 1 अप्रैल 2025 से इन क्षेत्रों में कोई नया लाइसेंस नहीं दिया जाएगा

संस्कारों की धरती पर, संस्कृति का संरक्षण

D-19010/25

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

मध्यप्रदेश शासन

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2025

प्रगतिशील राष्ट्रीय पाक्षिक
मालव समाचार
इंदौर
15 अप्रैल 2025

निगम-मंडलों में नियुक्ति का फॉर्मूला तय!

छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में भी शुरू हो जाएंगी नियुक्तियां, भाजपा संगठन में पद नहीं मिलने वाले नेता भी होंगे सरकार में एडजस्ट, कांग्रेस से भाजपा में आए नेता बनेंगे दर्जा प्राप्त मंत्री

भोपाल (विनोद उपाध्याय)। मप्र भाजपा संगठन चुनाव के तहत मंडल और जिलाध्यक्षों के चुनाव संपन्न होने के बाद अब सबकी नजर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि निगम-मंडल में राजनीतिक नियुक्ति के लिए जो फॉर्मूला तय किया गया है उसके अनुसार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही नियुक्तियां की जाएंगी। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस महीने के अंत में निगम-मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियां शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि मप्र में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति का फैसला पिछले दो महीने से आगे खिसकता जा रहा है। अब जल्द ही अध्यक्ष तय होने की संभावना है। प्रदेश में मोहन सरकार 16 महीने का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। अभी तक निगम, मंडलों में नियुक्तियां नहीं हुई हैं जिसकी वजह संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं होना है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में हाल ही निगम मंडलो में नियुक्तियां की गई है ।खास बात यह है की सूची में शामिल बड़े निगम मंडल उन नेताओं को दिए गए हैं, जिन्हें पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। सरकार में एडजस्ट होने वाले नेताओं में पूर्व मंत्री रामनिवास रावत, पूर्व सांसद केपी सिंह यादव और पूर्व मंत्री इमरती देवी के नाम प्रमुखता से शामिल हैं। इमरती देवी पिछली सरकार में भी निगम में अध्यक्ष रह चुकी हैं, इस बार फिर से उनका नाम है।

दावेदार फिर से हुए सक्रिय

प्रदेश में एक बार फिर से संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया के बीच निगम, मंडलों, बोर्ड, प्राधिकारियों में भी नियुक्तियों को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है। ऐसे नेता जो पिछले विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में टिकट पाने से चूक गए थे, उनकी भोपाल में अचानक सक्रियता बढ़ गई है। इन नेताओं ने भाजपा संगठन पदाधिकारियों से लेकर, मुख्यमंत्री और दिल्ली में भी पार्टी नेताओं से मुलाकात की है, जिसे निगम, मंडलों में नियुक्तियों से जोडक़र देखा जा रहा है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि भाजपा अध्यक्ष का फैसला होने के बाद प्रदेश सरकार करीब डेढ़ दर्जन पदों पर नियुक्तियां दे सकती है। जिन्हें निगम, मंडल, प्राधिकरणों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की नियुक्ति देकर कैबिनेट या राज्यमंत्री का दर्जा दिया जाएगा। हालांकि इतना तय है कि नए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष द्वारा अपनी प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के बाद ही नियुक्तियों का रास्ता खुलेगा, क्योंकि जिन नेताओं को संगठन में जगह दी जाएगी उन्हें सरकार में नियुक्तियां नहीं मिलेंगी। पिछले विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में भाजपा के कई नेताओं ने टिकट की दावेदारी की थीं। इनमें से कुछ नेताओं को निगम मंडलों में नियुक्तियां दी जा सकती हैं। लोकसभा चुनाव से पहले दूसरे दलों से भाजपा में आने वाले कुछ नेताओं को भी सरकार में नियुक्तियां मिल सकती हैं। इसके अलावा भाजपा संगठन के मौजूदा पदाधिकारी जिन्हें संगठन में कोई नई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, उन्हें भी सरकार में नियुक्ति मिलने की संभावना है।

ऐसा भी हुआ, इंतजार करते रह गए नेता

एक साल में नेता निगम-मंडलों में राजनीतिक नियुक्ति का इंतजार करते रहे और जनवरी में वन विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) अशोक वर्णवाल को वन निगम का अध्यक्ष बना दिया। इस निगम में नियुक्ति के लिए भाजपा के 3 कद्दावर नेता इंतजार कर रहे थे। एक पूर्व वन मंत्री का भी नाम था, हालांकि अभी पूर्व मंत्री के अध्यक्ष बनाने की संभावना खत्म नहीं हुई है। राजनीतिक नियुक्तियों को रद्द करने के बाद स्वत: निगम मंडल के पावर विभागीय आईएएस के पास चले गए।

एक साल से अधूरा कुर्सी का प्रेम

मप्र के निगम-मंडलों में जनप्रतिनिधि 1 साल से राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। यह इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। भाजपा के कई नेताओं का कहना है, उन्होंने विधानसभा और लोकसभा चुनाव जिताने में कसर नहीं छोड़ी पर इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा। अब तो घर-बाहर से ताने मिलने लगे हैं। बता दें कि मोहन सरकार ने फरवरी 2024 में शिवराज सरकार में की राजनीतिक नियुक्तियां रद्द कर दी थी। पहले चर्चा थी कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नियुक्तियां होंगी, पर नहीं हुई। सत्ता-संगठन भी इस पर अभी कुछ कहने से बच रहा है। हालांकि उम्मीद है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पर फैसले के बाद सरकार आगे बढ़ सकती है।

महिला समेत अन्य आयोगों में भी नियुक्ति जल्द

मप्र महिला आयोग में पिछले 6 साल से नियुक्तियां नहीं हुई है। कमलनाथ सरकार के समय नियुक्यिं की गई थीं, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया। इसके बाद से महिला आयोग खाली पड़ा है। अब जल्द ही महिला आयोग में नियुक्ति हो सकती हैं। इसके अलावा अन्य आयोगों में भी नियुक्तियां होंगी।

डेढ़ दर्जन नेताओं को निगम-मंडलों में मिलेंगी नियुक्तियां

जानकारी के अनुसार निगम-मंडल और प्राधिकरणों में नियुक्तियां भाजपा संगठन में बदलाव की संभावना की वजह से अटकी है। निकट भविष्य में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के साथ-साथ संगठन के अन्य पदाधिकारियों का फैसला होना है। संगठन के जो नेता दायित्वों से मुक्त होंगे, उन्हें भी संगठन में एडजस्ट किया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि संघ की ओर से भी निगम मंडलों में नियुक्तियों की सिफारिश है लेकिन अलग-अलग वजहों से यह मामला टलता जा रहा है। भाजपा के जिन नेताओं को सरकार में एडजस्ट किया जाना है, उनमें पूर्व विधायक सरदेंदू तिवारी, कमल पटेल, राघवेन्द्र गौतम, महेन्द्र यादव, सत्येन्द्र भूषण सिंह, अमरदीप मौर्य के नाम बताए जा रहे हैं। बताया गया कि इस बार नए चेहरों को ज्यादा मौका मिलने की संभावना है। इसके अलावा कुछ मौजूदा संभागीय संगठन प्रभारियों के अलावा भाजपा मीडिया से जुड़े पूर्व एवं मौजूदा पदाधिकारियों के नाम भी निगम-मंडलों के दावेदारों में शामिल हैं। कांग्रेस से भाजपा में आए भोपाल के एक नेता का नाम भी निगम-मंडलों के लिए चर्चा में है। सरकार में एडजस्ट होने वाले नेताओं में पूर्व मंत्री रामनिवास रावत, पूर्व सांसद केपी सिंह यादव और पूर्व मंत्री इमरती देवी के नाम प्रमुखता से शामिल हैं। इमरती पिछली सरकार में भी निगम में अध्यक्ष रह चुकी हैं, इस बार फिर से उनका नाम है। शुरूआत में सरकार मप्र पाठ्यपुस्तक निगम, ऊर्जा निगम, खनिज निगम, नागरिक आपूर्ति निगम, वित्त आयोग, बीज निगम, औद्योगिक संस्थाओं के अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर समेत अन्य विकास प्राधिकरणों में अध्यक्ष नियुक्त करेगी। इसके अलावा कुछ मंडल, आयोगों में भी नियुक्तियां मिल सकती हैं।

भ्रष्टाचार पर लगाम...

नौकरशाही को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करने की सिफारिशें लंबे समय से की जाती रही हैं। लेकिन इसके उलट हर राजनीतिक दल सत्ता संभालने के बाद अपने करीबी और भरोसेमंद अधिकारियों को जिम्मेदार पदों पर बहाल करता है और उन्हें लंबे समय तक वहां बनाये रखने का प्रयास करता है। इसका नतीजा यह है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय पर संसद की स्थायी समिति द्वारा पेश यह रिपोर्ट चिंताजनक है, जिसमें कहा गया है कि अधिकारियों के लंबे समय तक एक ही पद पर बने रहने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, लिहाजा नीति के अनुसार, तत्काल सभी तबादले किये जाने चाहिए। रिपोर्ट में यह सुनिश्चित किये जाने की जरूरत बतायी गयी है कि किसी मंत्रालय में कोई भी अधिकारी निर्धारित समयसीमा से अधिक न रहे। विगत 27 मार्च को संसद में पेश अपनी 145वीं रिपोर्ट में समिति ने कहा कि सभी अधिकारियों के लिए एक रोटेशन नीति रही है, लेकिन इसे पूरी तरह लागू नहीं किया जा रहा। ऐसे भी अधिकारी हैं, जो अनुकूल मंत्रालयों या स्थानों पर आठ-नौ साल से अधिक समय से तैनात हैं और संगठनों के प्रमुखों को चार-पांच बार बदले जाने के बावजूद वे अपने पदों पर बने हुए हैं। वित्त मंत्रालय में ऐसे विभाग हैं, जो आर्थिक और गैर आर्थिक के रूप में विभाजित हैं। मगर ऐसे भी उदाहरण सामने आये हैं, जहां अधिकारियों ने अपनी पोस्टिंग में इस तरह चतुराई दिखायी है कि उनका पूरा कैरियर एक ही मंत्रालय में रहा है। इस तरह की खामियों को बिना किसी देरी के दूर किया जाना चाहिए। समिति की यह टिप्पणी केंद्रीय सचिवालय सेवाओं और केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवाओं के कामकाज की समीक्षा करते हुए आयी है।नौकरशाही को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करने की सिफारिशें लंबे समय से की जाती रही हैं। लेकिन इसके उलट हर राजनीतिक दल सत्ता संभालने के बाद अपने करीबी और भरोसेमंद अधिकारियों को जिम्मेदार पदों पर बहाल करता है और उन्हें लंबे समय तक वहां बनाये रखने का प्रयास करता है। इसका नतीजा यह है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। हालांकि इस संदर्भ में यह भी याद किया जाना चाहिए कि लगभग डेढ़ दशक पहले जब अधिकारियों की थोड़े-थोड़े समय पर तबादलों की बढ़ती प्रवृत्ति पर उंगलियां उठनी शुरू हुई थी, तब प्रशासनिक आयोग ने यह सिफारिश की थी कि किसी भी अधिकारी का स्थानांतरण तीन साल से कम समय में न किया जाये, जिससे कि वे एक जगह रहकर कुछ बेहतर काम कर सकें। लेकिन अब इससे उल्टी प्रवृत्ति विकसित हो रही है, तो यह भी उतनी ही चिंता का विषय है। चिंता की बात यह भी है कि संसदीय समिति ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने से संबंधित यह रिपोर्ट तब पेश की है, जब मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है।

करिश्माई नेतृत्व के दम पर राजनीति के शिखर पर भारतीय जनता पार्टी

■ दीपक कुमार त्यागी

> ‘सबका साथ, सबका विकास’ की विचारधारा से ओतप्रोत हो सशक्त, सुदृढ़, समृद्ध, समर्थ, स्वावलम्बी एवं विश्वगुरु भारत के निर्माण के लिए पूरी निष्ठा व ईमानदारी से समर्पित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 6 अप्रैल को हर्षोल्लास के साथ स्थापना दिवस मनाया। भाजपा के प्रदेश व राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जिले, प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की श्रृंखलाएं चलाई जा रही है, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भाजपा की विचारधारा व केंद्र व भाजपा शासित राज्य सरकारों की नीतियों को लेकर के अधिक से अधिक लोगों के पास कैसे पहुंचा जाएं, देश व प्रदेशों का भाजपा नेतृत्व इसकी रणनीति निरंतर बना रहा है। वह अब भी यह देखकर संतुष्ट नहीं हैं कि उसने केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर के इतिहास रचने का कार्य कर दिया है, आज भी भाजपा के नेता व कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से पार्टी को ओर मजबूत करने में दिन-रात लगें हुए हैं, जो भाजपा संगठन की एक बहुत ही बड़ी खूबी है और उसको अन्य पार्टियों से अलग बनाती है।

देश की आज़ादी के बाद कभी डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मधोक व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कुशल मार्गदर्शन में शून्य से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाली जनसंघ से लेकर के जनता पार्टी तक का सफ़र करते हुए भाजपा की स्थापना और फिर उसको देश व दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने तक के कठिन सफ़र में भाजपा के लाखों करोड़ों निस्वार्थ भाव से लगे हुए संगठन शिल्पी नेताओं व कार्यकर्ताओं का बहुत ही अहम अनमोल योगदान रहा है, उन लोगों की त्याग, तपस्या, लगन, मेहनत, बलिदान से भाजपा आज इस मुकाम पर खड़ी है। भाजपा के कार्यकर्ताओं की इस मेहनत के इतिहास से भारत की राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों को रूबरू अवश्य होना चाहिए। अस्सी के दशक में जनता पार्टी से अलग होकर के किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी व उनके अन्य सहयोगियों ने भारतीय जनता पार्टी का देश में विस्तार करने का एक सपना देखा था और उस सपने को उन सभी ने मिलकर के धरातल पर साकार करते हुए केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का गठन करने वाले अहम मुकाम तक पहुंचाने का कार्य बखूबी से किया था।

वहीं इस सपने को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जोड़ी ने आगे बढ़ाते हुए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर देश में व्याप्त ज्वलंत मुद्दों का एक-एक करके स्थाई समाधान करते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काम करना निरंतर जारी रखा हुआ है। भाजपा दशकों के बाद आज भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित ‘एकात्म-मानवदर्शन’ को अपने वैचारिक दर्शन के सिद्धांतों पर पूरी तरह से अमल करती है। भाजपा का हमेशा अंत्योदय, सुशासन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास एवं सुरक्षा पर भी विशेष जोर रहा है, जो देश व समाज के हित में पूरी तरह से उचित है। भाजपा ने पांच प्रमुख सिद्धांतों के प्रति भी अपनी निष्ठा व्यक्त की, पांच सिद्धांत राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय अखंडता, लोकतंत्र, सकारात्मक पंथ-निरपेक्षता, गांधीवादी समाजवाद तथा मूल्य आधारित राजनीति करना हैं।

अपने सिद्धांतों के चलते ही स्थापना के समय से ही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि उसके पास पार्टी व देशभक्ति की विचारधारा से ओतप्रोत राजनेताओं की एक लंबी जमात हमेशा रही है। पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, के. जना कृष्णामूर्ति, एम वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, जेपी नड्डा के कार्यकाल का दौर निकट से देखा है और अटल बिहारी वाजपेयी व नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए भी देखा है, सभी का ‘राष्ट्र प्रथम’ का ही उद्देश्य मुख्य रहा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक भी भाजपा को कभी किसी एक परिवार व व्यक्ति की बपौती नहीं बनने दिया है, पार्टी में आज भी आंतरिक लोकतंत्र जिंदा है। देश व दुनिया में भाजपा की पहचान एक ऐसे राष्ट्रवादी राजनैतिक दल के रूप होती है, जिसका ध्येय देश में सुशासन, विकास, एकता एवं अखंडता के लिए कार्य करना है।

भाजपा ने एक राजनैतिक दल के रूप में शुरुआत से लेकर के आज तक राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय एवं जनहित के मुद्दों को बहुत ही दमदार ढंग से उठाते हुए, देश के आम जनमानस के बीच बेहद ही कम समय में अपनी एक सशक्त पहचान बनाने का कार्य किया है। साथ ही बीतते हुए समय के साथ भाजपा के कर्ताधर्ताओं ने अपनी चाणक्य नीति व कुशल-कारगर ठोस रणनीति के दम पर देश की राजनीति व लोकतंत्र में अपनी भागीदारी दर्ज करते हुए बहुत सारे राज्यों व केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बना कर देश की राजनीति को नए आयाम देने का कार्य करते हुए, देश के आम जनमानस के दिलो-दिमाग पर छा जाने का कार्य बखूबी किया है।

भारत के राजनैतिक इतिहास को देखें तो यह स्पष्ट रूप से नज़र आता है कि वर्ष 2014 से देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम काल का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने ना केवल तीसरी बार केंद्र की सत्ता पर कब्जा जमाने का काम किया है, बल्कि भाजपा के नाम देश व दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का कीर्तिमान भी दर्ज हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा लगभग 11 करोड़ से अधिक सदस्यों वाली विश्व की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी बन गई है। भाजपा आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व अमित शाह की जोड़ी के करिश्माई नेतृत्व में आज एक ऐसा बेहद विशाल वट वृक्ष बन गई है, जिस पर भरोसा करते हुए देश की लगभग 50 से 60 फीसदी के करीब आबादी सकून से जीवन यापन कर रही है।

नरेन्द्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में वर्ष 2014 में पहली बार केंद्र में भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने अवसर मिला था। जिसके बाद से ही भाजपा ने ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत पर अमल करते हुए देश के नव निर्माण का अभियान शुरू कर रखा है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने बहुत ही कम समय में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल करने का कार्य किया है। मोदी सरकार ने विश्व भर में भारत की गरिमा को पुन: स्थापित करने का कार्य किया है। मोदी सरकार में अन्त्योदय, सुशासन, विकास एवं समृद्धि के रास्ते पर देश तेजी के साथ बढ़ चला है। आर्थिक और सामाजिक सुधार सुरक्षित जीवन जीने का मार्ग उपलब्ध करा रहे हैं। केंद्र सरकार की किसानों के लिये ऋण से लेकर खाद तक की नयी नीतियों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड आदि ने कृषि के तीव्र विकास की अलख जगायी है। मोदी के नेतृत्व में देश में सुशासन के नये युग का दौर चल रहा है। मोदी सरकार की चाहे आदर्श ग्राम योजना हो, स्वच्छता अभियान या फिर योग के सहारे भारत को स्वथ्य बनाने का अभियान, इन सभी कदमों से देश को एक नयी ऊर्जा मिली है। भाजपा की मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, अमृत मिशन, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से देश को आधुनिक और सशक्त बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाया है। जनधन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, आयुष्मान भारत जैसी अनेक योजनाएं देश में एक नयी क्रांति का सूत्रपात कर रही हैं, देश में केंद्र सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर विश्वस्तरीय अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। भाजपा सरकार ने देशवासियों को विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना का उपहार दिया है। राम मंदिर निर्माण, धारा 370, नोटबंदी, ट्रिपल तलाक, वक्फ बिल आदि भाजपा सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाती हैं।

भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखकर लगता है कि वह एक सुदृढ़, सशक्त, समृद्ध, समर्थ एवं स्वावलम्बी भारत के निर्माण हेतु निरंतर सक्रिय हैं। विदेशी नीति के मसले पर भारत सरकार अब विश्व शांति तथा एक न्याययुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विश्व के राष्ट्रों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। भाजपा सरकार में भारत वैश्विक मंच पर दमदार ढंग से अपनी बात रखने की ताकत रखता है। भाजपा की कल्पना भारत को एक ऐसे ताकतवर राष्ट्र बनाने की है, जिसकी निवासी खुशहाल हो, जो आधुनिक दृष्टिकोण से युक्त एक प्रगतिशील एवं प्रबुद्ध समाज का प्रतिनिधित्व करता हो तथा प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं सनातन धर्म संस्कृति तथा उसके मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए महान विश्वशक्ति एवं विश्वगुरू के रूप में विश्व पटल पर स्थापित हो।

(लेखक अधिवक्ता, स्तंभकार व राजनीतिक विश्लेषक हैं।)

फिर मजबूत हो रहे बीजेपी-संघ के रिश्ते!

बीजेपी और आरएसएस ने 2029 के चुनावों के लिए अपने रिश्तों को मजबूत करते हुए एक साझा रणनीति तैयार की

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मार्च को नागपुर में आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया। 2014 में सत्ता में आने के बाद यह उनका पहला दौरा था। उन्होंने संगठन की जमकर तारीफ की। इसे बीजेपी का अपने वैचारिक संरक्षक के प्रति रुख में बदलाव माना जा रहा है। पिछले साल दोनों के बीच संबंधों में कुछ खटास आ गई थी। मोदी की यह यात्रा बीजेपी और आरएसएस के बीच सुलह का संकेत है। लोकसभा चुनाव में कम सीटें आने के बाद, बीजेपी और आरएसएस साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आरएसएस मुख्यालय की जाना कई लोगों के लिए हैरानी की बात है। यहां तक कि आरएसएस के लोग भी हैरान हैं। इसे बीजेपी और आरएसएस के बीच संबंधों को सुधारने का प्रयास माना जा रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, एक सीनियर आरएसएस पदाधिकारी ने कहा कि यह कोई रहस्य नहीं है कि संघ बीजेपी का वैचारिक मार्गदर्शक है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले के प्रधानमंत्रियों और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने सावधानी बरती थी। उन्होंने सरकार और आरएसएस के बीच एक दूरी बनाए रखी थी। कई नेताओं ने आरएसएस को अपने करियर को आकार देने का श्रेय दिया है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि संघ ने उनके शासन या राजनीतिक एजेंडे को प्रभावित नहीं किया।

लोकसभा चुनाव से पहले दोनों के बीच आए थे मतभेद!

प्रधानमंत्री की यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब बीजेपी को लोकसभा चुनाव में उम्मीद से कम सीटें मिलीं। यह पहली बार था जब बीजेपी को एक दशक में बहुमत नहीं मिला। इस बीच ये भी खबरें थीं कि पार्टी और संघ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने कहा था कि बीजेपी अब आत्मनिर्भर है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी को अब संघ की जरूरत नहीं है। बीजेपी अब सक्षम है और अपने मामलों को खुद चला सकती है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद, बीजेपी ने अपना रुख बदला। उसने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की। कहा जा रहा है कि इन चुनावों में जीत के लिए बीजेपी ने संघ से मदद मांगी थी।

संघ नेताओं ने मतभेद की खबरों को खारिज किया

संघ के वरिष्ठ नेता एच.वी. शेषाद्रि ने मतभेदों की खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें वे लोग करते हैं जो बीजेपी और संघ को नहीं समझते हैं। हालांकि, बीजेपी के चुनाव प्रबंधकों ने माना कि संघ को पार्टी की व्यक्तित्व-आधारित राजनीति पर आपत्ति थी। बीजेपी लगातार मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही थी। यह 2014 के बाद मोदी ब्रांड की राजनीति का हिस्सा था।

पिछले साल भी अयोध्या में मिले थे मोदी और भागवत

मोदी खुद एक समय में आरएसएस प्रचारक थे। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंच साझा किया। दोनों पहले हेडगेवार स्मृति मंदिर गए और फिर माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर गए। इसे बीजेपी और संघ के बीच कम होते मतभेदों का संकेत माना जा रहा है। इससे पहले, दोनों ने पिछले साल जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान मंच साझा किया था।प्रधानमंत्री की नागपुर यात्रा दो महत्वपूर्ण आयोजनों से पहले हो रही है। पहला संघ का शताब्दी समारोह और दूसरा बेंगलुरु में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक।

74 साल में पहली बार, मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री संघ मुख्यालय में दी श्रद्धांजलि

भारत के इतिहास में पहली बार, एक कार्यरत प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के मुख्यालय का दौरा किया। नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 2014 और 2024 के अपने दो कार्यकालों में संघ मुख्यालय जाने से परहेज किया था, अब 2025 में नागपुर पहुंचे और स्मृति मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित की। सवाल यह उठता है कि आखिर 10 साल की दूरी के बाद ऐसा क्या बदल गया?

10 साल की दूरी क्यों और अब अचानक नजदीकी?: नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा संघ से जुड़ी रही है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने खुद को स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। 2014 और 2024 के चुनावों में उनकी छवि एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरी, जहां संघ की छाया से दूरी बनाए रखना उनकी रणनीति का हिस्सा था।लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया और गठबंधन सरकार बनी। राजनीतिक समीकरण बदले, और मोदी को अब एक मजबूत समर्थन प्रणाली की आवश्यकता है। ऐसे में संघ के साथ संबंधों को पुन: स्थापित करना अनिवार्य हो गया।

जेपी नड्डा का बयान... संबंधों में दरार

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि 'अब बीजेपी सक्षम है और उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है।' यह बयान तब आया जब मोदी सरकार '400 पार' के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी। लेकिन नतीजों में बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई और गठबंधन सहयोगियों पर निर्भर हो गई।यही कारण है कि चुनाव के बाद संघ की भूमिका पर चर्चाएं तेज हो गईं। बीजेपी की हार के लिए संघ की निष्क्रियता को जिम्मेदार ठहराया गया, और अब मोदी के संघ मुख्यालय दौरे को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष की गुत्थी: शक्ति संतुलन

बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हुए एक साल से अधिक हो गया है, लेकिन अब तक नया अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ। सवाल यह है कि क्या यह मोदी-शाह और संघ के बीच की खींचतान का परिणाम है?अगर संघ की मर्जी से अध्यक्ष चुना जाता है, तो मोदी-शाह की पकड़ पार्टी पर कमजोर हो सकती है। दूसरी ओर, अगर मोदी-शाह अपने पसंदीदा उम्मीदवार को अध्यक्ष बनाते हैं, तो संघ की भूमिका सीमित हो सकती है।

योगी आदित्यनाथ का भविष्य

योगी आदित्यनाथ को लेकर भी बीजेपी और संघ में मतभेद की अटकलें हैं। केंद्रीय नेतृत्व उन्हें हटाना चाहता है, लेकिन संघ अब तक उनके समर्थन में खड़ा रहा है। सवाल यह है कि क्या मोदी और शाह, आरएसएस को मनाकर योगी को हटाने में सफल होंगे?

जब साथ बैठे आरएसएस चीफ मोहन भागवत और पीएम मोदी, बना लिया 2029 का पूरा प्लान?

बीजेपी और आरएसएस ने 2029 के चुनावों के लिए अपने रिश्तों को मजबूत करते हुए एक साझा रणनीति तैयार की है, जिससे उनका राजनीतिक गठबंधन और भी मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के रिश्ते हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कभी उनके बीच खटपट की खबरें आईं, तो कभी दोनों संगठन एक-दूसरे से दूर होने का इशारा करते हुए नजर आए। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर में आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया और एक बार फिर से यह साफ कर दिया कि बीजेपी और आरएसएस के बीच कोई दरार नहीं है, बल्कि दोनों के बीच एक गहरा राजनीतिक गठबंधन है। इस बीच, दोनों संगठनों ने मिलकर 2029 के लिए अपनी रणनीति को साकार रूप देने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में आरएसएस की भूमिका को स्पष्ट किया और कहा कि यह संगठन सिर्फ एक राजनीतिक इकाई नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की आत्मा है। उनका यह बयान यह दर्शाता है कि आरएसएस का प्रभाव अब बीजेपी से कहीं ज्यागा गहरा और व्यापक हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि इससे पहले वह 2013 में आरएसएस मुख्यालय आए थे और तब से लेकर अब तक उनकी यात्रा के विभिन्न आयाम सामने आए हैं। मोदी ने आरएसएस के संस्थापक डॉ. केबी हेडगेवार की स्मृति को सम्मानित करते हुए संगठन की महत्ता को स्वीकार किया।

अवैध निर्माण किया तो होगी जेल

मोहन सरकार ला रही नया कानून

» 10 साल की सजा और 50 लाख का जुर्माना

» 2016 से पहले की कॉलोनियां ही होंगी नियमित

भोपाल। मध्यप्रदेश में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के नियम अब और ज्यादा सख्त होने वाले हैं। डॉ. मोहन यादव सरकार नगर पालिका एक्ट में बदलाव करने जा रही है। संशोधित कानून में अवैध कॉलोनी बनाने पर 10 साल की सजा और 50 लाख जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि एक महीने में नया कानून प्रभावी हो जाएगा। इसके साथ ही सरकार 2016 से पहले की अवैध कॉलोनियों को वैध करने पर भी विचार कर रही है, लेकिन इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के मौजूदा कानून में सजा और जुर्माने के प्रावधान में बदलाव के साथ ये भी तय किया जा रहा है कि 2016 से पहले बनी अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाए या 2022 के पहले बनी? इस पर अभी सहमति नहीं बनी है। हालांकि, पिछले साल नगरीय प्रशासन मंत्री ने जब अवैध कॉलोनियों की समीक्षा की थी, तब जिला कलेक्टरों से 2016 की अवैध कॉलोनियों का डेटा मांगा गया था।इससे ये माना जा रहा है कि सरकार 2016 से पहले अवैध कॉलोनियों को ही नियमित कर सकती है। यदि ऐसा हुआ तो करीब 2 हजार अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोग प्रभावित होंगे। बता दें कि पूर्ववर्ती शिवराज सरकार ने 2022 से पहले बनी अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया था। इसका ऐलान विधानसभा चुनाव 2023 के पहले किया गया था।अब अवैध कॉलोनियों को लेकर बने मौजूदा कानून में सरकार क्या बदलाव कर रही है? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इस बदलाव से आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, पढ़िए रिपोर्ट..

कानून में संशोधन क्यों कर रही मौजूदा सरकार

मध्यप्रदेश सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने का कानून तो बना दिया है लेकिन इसका प्रभावी पालन नहीं हो सका है। शिवराज सरकार ने साल 2016 से पहले बनी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला लिया था। उस समय नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने पूरे प्रदेश में सर्वे कर ऐसी 6077 अवैध कॉलोनियां चिह्नित की थीं ।मोहन सरकार ने पिछले साल जब अवैध कॉलोनियों का डेटा जिलों से मंगाया तो पाया गया कि अवैध कॉलोनियों की संख्या 6077 से बढ़कर 7981 हो चुकी है यानी 1908 नई अवैध कॉलोनियां बन चुकी हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा के पिछले सत्र में कहा था कि प्रदेश में बन रही अवैध कॉलोनियों को सरकार वैध नहीं करेगी। इनमें रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल सकें, बिल्डिंग परमिशन मिल जाए, यह काम जरूर किया जा रहा है ।उन्होंने यह भी कहा था कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियां एक गंभीर मुद्दा बन गई हैं। इसके लिए जल्द ही कानून लाया जाएगा। बता दें कि मप्र नगरपालिका अधिनियम 2021 की धारा 292 और 339 की उप धाराओं में अवैध कॉलोनी बनाने वालों के खिलाफ सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

2016 से पहले की अवैध कॉलोनियों को वैध करने पर विचार

मोहन सरकार 2016 से पहले बनी अवैध कॉलोनियों को वैध करने पर विचार कर रही है ।दरअसल, अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के मौजूदा कानून में सजा और जुर्माने के प्रावधानों में बदलाव के साथ यह भी तय किया जा रहा है कि 2016 से पहले या 2022 से पहले बनी कॉलोनियों को वैध किया जाए। इस पर अभी तक कोई स्पष्ट सहमति नहीं बनी है। हालांकि, पिछले साल नगरीय प्रशासन मंत्री ने अवैध कॉलोनियों की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टरों से 2016 तक की अवैध कॉलोनियों का डेटा मांगा था, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार 2016 से पहले बनी कॉलोनियों को ही नियमित कर सकती है। बता दें कि एमपी के पूर्व सीएम ने 2022 से पहले बनी अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया था। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले इसकी घोषणा की गई थी।

भोपाल के उदाहरण से समझिए कैसे बढ़ रही अवैध कॉलोनियां

पिछले दो साल में भोपाल में 300 नई अवैध कॉलोनियां कट चुकी हैं। साल 2022 में हुए सर्वे के मुताबिक, भोपाल जिले में कुल 576 अवैध कॉलोनियां मिलीं थीं। इनमें से 31 दिसंबर 2016 से पहले बनी 321 कॉलोनियों को नियमतिकरण की श्रेणी में रख दिया गया। बाकी 255 पर दिसंबर 2023 तक एफआईआर दर्ज कराई गई ।अब नए सिरे से सर्वे शुरू किया गया तो 300 से ज्यादा नई अवैध कॉलोनियां और मिल गई हैं। यह सर्वे अभी जारी है, ऐसे में इनकी संख्या बढ़ सकती है। बता दें कि वर्ष 2000 के पहले भोपाल में 198 अवैध कॉलोनियां थीं। नगर निगम की तत्कालीन सर्वे रिपोर्ट में इसका जिक्र था यानी 25 साल में ऐसी कॉलोनियों में तीन गुना तक इजाफा हो चुका है।

मप्र में 60 फीसदी अवैध कॉलोनियां छोटे और मध्यम शहरों में

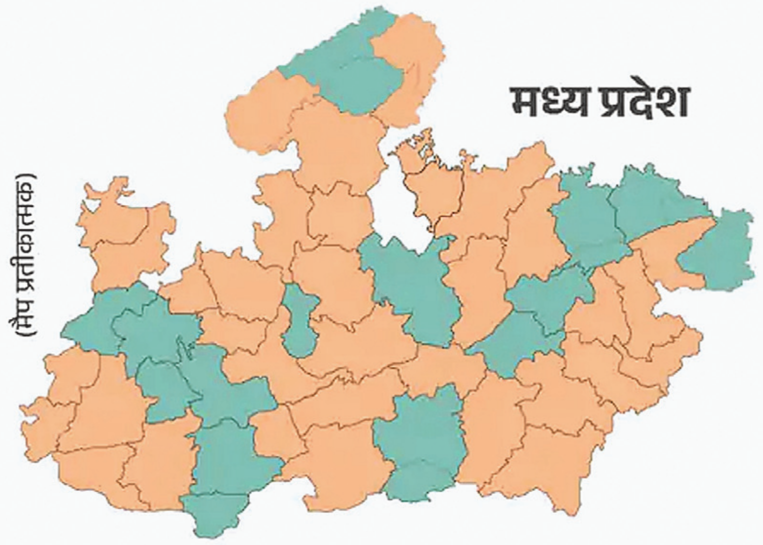

नगर निगम क्षेत्र 16	नगरपालिका क्षेत्र- 99 नगरपरिषद क्षेत्र- 298
अवैध कॉलोनियां 3155	अवैध कॉलोनियां 4826
कुल अवैध कॉलोनियां- 7981	

नोट- आंकड़े मार्च 2024 तक की स्थिति में।

अब जानिए, कानून में क्या बदलाव प्रस्तावित किए हैं

प्रस्तावित संशोधन में कॉलोनाइजर, आम लोग और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका को लेकर प्रावधान किए गए हैं। सिलसिलेवार जानिए, किसके लिए क्या है प्रावधान...

अवैध कॉलोनाइजरः 10 साल की सजा, 50 लाख जुर्माना

- प्रस्तावित संशोधन में व्यक्ति के साथ फर्म, कंपनी, सोसाइटी, संस्था, प्रमोटर या सरकारी इकाई को भी कॉलोनाइजर की कैटेगरी में रखा गया है।
- पहले किसी कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रेशन एक जिले में होता था, लेकिन प्रस्तावित संशोधन में अब प्रदेश स्तर पर रजिस्ट्रेशन होगा। इसके लिए सरकार रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी। इसके बाद कॉलोनाइजर प्रदेश के किसी भी हिस्से में कॉलोनी काट सकेगा।
- कॉलोनी बनाने के लिए कॉलोनाइजर पहले की ही तरह सक्षम अधिकारी के पास आवेदन करेगा। मगर, प्रस्तावित संशोधन में कॉलोनी की अनुमति देने की समय सीमा तय करने का प्रावधान किया गया है। यदि अधिकारी तय समय में अनुमति देने या न देने की सूचना कॉलोनाइजर को नहीं देता तो फिर अनुमति दी गई, मानी जाएगी।
- बिना अनुमति कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजर के खिलाफ तीन से 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। प्रस्तावित संशोधन में इसे बढ़ाकर 7 से 10 साल और 50 लाख जुर्माना किया जा रहा है।
- अवैध कॉलोनियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई न होने के कारण इनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। प्रस्तावित संशोधन में ये भी तय किया है कि जुलाई 2021 के बाद बनी अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अवैध निर्माण तोड़ने के लिए जो पैसा खर्च होगा, वो कॉलोनाइजर से वसूल किया जाए।

अवैध कॉलोनियां विकसित करने में एक मजबूत गठजोड़ शामिल है, जिसे रोकने की जरूरत है। इसे लेकर विधेयक में एनएसए सहित कड़ी कार्रवाई का प्रावधान होगा।

कैलाश विजयवर्गीय,
मंत्री, नगरीय विकास, मध्यप्रदेश

शिवराज सरकार ने क्या फैसला लिया था

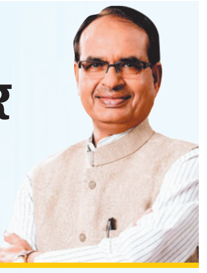

पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में 2016 से पहले बनी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला लिया गया था। इसके बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 23 मई 2023 को अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए आयोजित कार्यक्रम में घोषणा करते हुए शिवराज ने दिसंबर 2022 तक बनी सभी अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया। किसी तरह का विकास शुल्क न लेने का भी ऐलान किया था शिवराज ने कहा था- मैं मानता हूं कि जब ये कॉलोनियां बन रही थीं, तब ध्यान देना चाहिए था कि वो वैध बन रही हैं या अवैध। लेकिन हमारे भाई-बहन का क्या दोष? जिंदगीभर की पूंजी लगाकर प्लॉट खरीद लिया। पाई-पाई जोड़कर मकान बना लिया। मकान बन गया, तब सरकार आई और कहा- ये तो अवैध है। यह न्याय नहीं है। अवैध मतलब क्या हम अपराधी हो गए? अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है, इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं।

ग्वालियर में सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनी दूसरे नंबर पर इंदौर

5 बड़े शहरों का हाल

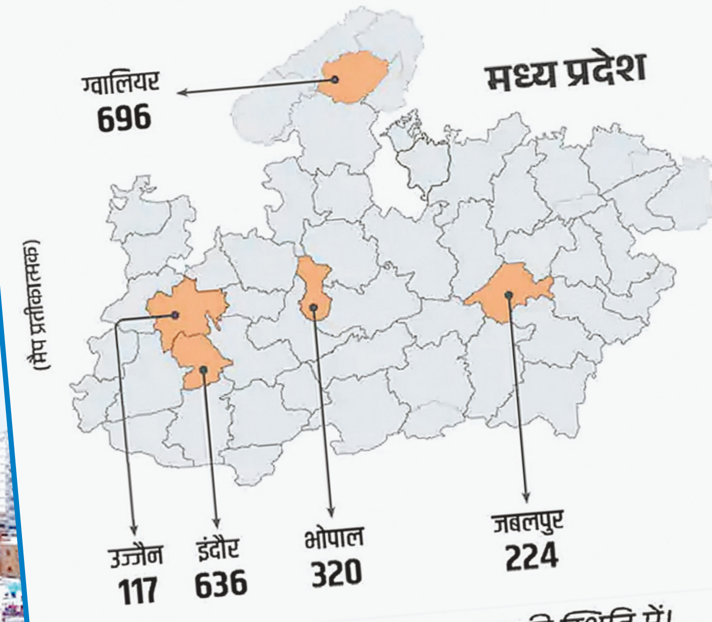

नोट- आंकड़े मार्च 2024 तक की स्थिति में।

बिल्डर,कॉलोनाइजर का लाइसेंस होगा सस्पेंड

विस्तृत खबर पेज 8 पर

प्रगतिशील राष्ट्रीय पाक्षिक
मालव समाचार
इंदौर
15 अप्रैल 2025

बिल्डर, कॉलोनाइजर का लाइसेंस होगा सस्पेंड

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में कहीं भी कॉलोनी बन रही है तो बगैर नियम कायदे के इसे बनाने वाले बिल्डरों और कॉलोनाइजरों के लाइसेंस सस्पेंड किये जाएंगे और अवैध कॉलोनी के नियमानुसार कड़ी कार्वाई करते हुए एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि एक ऐसी मॉनिटरिंग टीम भी बनाई जाएगी जो ऐसी कॉलोनी पर निगरानी रखेगी।

एक्सपर्ट बोले...
कानून का क्रियान्वयन जरूरी है

क्रेडाई, भोपाल के अध्यक्ष मनोज सिंह मीक बढ़ती अवैध कॉलोनियों के पीछे की वजह बताते हैं- गांव से जो लोग पलायन कर आते हैं, उन्हें शहर में कम कीमत में जमीन दे दी जाती है। कॉलोनी का विकास नहीं होता ।वे बताते हैं कि ये समस्याएं न केवल मप्र की बल्कि पूरे देश की है। आने वाले समय में 50 फीसदी शहरीकरण होना है। इस समस्या का निदान ये है कि जो वैध कॉलोनी है, सरकार को उसकी जटिलताओं को कम करना जरूरी है। जो भी कॉलोनाइजर एक कॉलोनी विकसित करता है तो वो नियमों के तहत ही प्लॉट या मकान बेचता है ।सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, तब तक समस्या दूर नहीं होगी।

अवैध कॉलोनी में लोग क्यों बनाते हैं घर

कैलाश विजयवर्गीय का लोगों से कहना है कि वे ऐसी कॉलोनियों में घर या प्लॉट खरीदने से बचें जहां बिल्डर ने कोई सुविधा नहीं दी है। लोगों को कॉलोनी की परमिशन के बारे में जानकारी लेना चाहिए। बगैर सुविधा वाली कॉलोनी में लोग घर क्यों बनाते हैं। ऐसी कॉलोनी में फिर लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होते हैं। बिल्डर सरकार के साथ लोगों को भी चूना लगाते हैं। अब ऐसे बिल्डरों के खिलाफ शासन सख्ती से निपटेगा वहीं लोग भी सतर्क रहें और अवैध कॉलोनियों में घर नहीं बनाएं। ऐसे कई बिल्डर टॉउन एंड कंट्री प्लानिंग समेत नगर निगम से बगैर परमिशन के कॉलोनी बना लेते हैं। ऐसे कॉलोनाइजरों के लिए एक मॉनिटरिंग टीम भी तैयार की जा रही है।

अवैध कॉलोनियों में समस्याओं का अंबार

राजधानी समेत हर जिले में एक-दो नहीं कई अवैध कॉलोनियां बनी हुई हैं। बिल्डर ने कॉलोनी काटी और प्लॉट बेच दिए। कुछ समय बाद लोगों ने मकान बनाना शुरू कर दिए और धीरे-धीरे बगैर सुविधाओं के ही लोगों ने वहां रहना शुरू कर दिया। इसके बाद यही लोग कॉलोनी में बिजली, पानी, सड़क, स्ट्रीट लाइट, पार्क जैसी सभी सुविधाओं की मांग करने लगते हैं और शासन और प्रशासन के लिए परेशानी होती है। जबकि ये सभी सुविधाएं कॉलोनी बनाने के पहले बिल्डर या कॉलोनाइजर को उपलब्ध कराना है लेकिन वह अपना मुनाफा कमाकर ऐसी ही किसी दूसरी कॉलोनी बनाने में लग जाता है। जब लोगों को परेशानी होती है तो सरकार पर दबाव बनाते हैं। राजधानी के आसपास ऐसी कई अवैध कॉलोनियां हैं।

पार्षद कर सकेंगे नगर निगम-पालिका अधिकारियों की शिकायत

प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक, यदि नगर निगम या नगर पालिका-परिषद का कोई अधिकारी जिसे अवैध निर्माण रोकने की जिम्मेदारी है, वह अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता या इसे रोकने की कोशिश नहीं करता तो तीन साल की सजा और 10 हजार के जुर्माने का प्रावधान किया गया है ।पुलिस को शिकायत मिलने पर अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ 90 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान भी जोड़ा गया है। यदि पुलिस अधिकारी इस समय सीमा का पालन नहीं करते तो उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है ।अब तक अवैध कॉलोनियों के मामलों में किसान और खरीदार ही नामित होते थे, जिससे कॉलोनाइजर कानूनी कार्रवाई से बच जाते थे। लेकिन नए ड्राफ्ट में प्रमोटर और अवैध कॉलोनी बनाने के लिए उकसाने वालों को भी आरोपी बनाया जाएगा। जिससे अवैध कॉलोनाइजरों पर कानूनी शिकंजा कस सकेगा ।प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक, वार्ड के पार्षद भी अवैध कॉलोनी की जानकारी कलेक्टर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या इंजीनियर को दे सकते हैं। ये जानकारी उन्हें लिखित में देनी पड़ेगी।

प्रस्तावित संशोधन में आम लोगों को कैसे मिलेगा फायदा

- सरकार ने अवैध कॉलोनियों को अनाधिकृत कॉलोनी घोषित किया है।
- इन कॉलोनियों में विकास कार्य के लिए रहवासियों से 50 फीसदी विकास शुल्क लिया जाएगा।बाकी राशि नगरीय निकाय वहन करेंगे।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को विकास शुल्क से छूट देने का प्रावधान किया है।
- अवैध कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजर की चल-अचल संपत्ति और बैंक अकाउंट सीज कर इस राशि का इस्तेमाल विकास कार्यों में किया जा सकेगा।

इस तरह से वैध हो सकेंगे अवैध निर्माण

1. किसी प्लॉट पर बिल्डिंग परमिशन से अधिक निर्माण है, लेकिन वह प्लॉट पर मिलने वाले FAR (फ्लोर एरिया रेशो) की सीमा के अंदर है।

वैध करने का प्रक्रिया

बिल्डिंग परमिशन की पांच गुना राशि देकर 10% तक अधिक निर्माण को वैध कराया जा सकता है।

2. निर्धारित एफएआर या एमओएस (मार्जिनल ओपन स्पेस) से अधिक निर्माण कर लिया गया है।

वैध करने की प्रक्रिया

निर्धारित कलेक्टर गाइडलाइन की 5% राशि चुकाकर 10% अवैध निर्माण को वैध कराया जा सकता है। नया एक्ट लागू होने के बाद यह सीमा बढ़कर 30% हो जाएगी।

बिहार में बीजेपी का महाराष्ट्र वाला प्लान?

चुनाव से पहले अटैकिंग मोड में अमित शाह, दिग्गजों को भी उतारेगी चुनाव में

पटना। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बीते दिनों बिहार का दो दिवसीय दौरा किया था। इस दौरान अमित शाह ने बीजेपी और एनडीए के सहयोगियों के साथ चर्चा की। अमित शाह ने अपने दौरे पर बिहार चुनाव के लिए खास रणनीति बनाते हुए बीजेपी विधायकों, कार्यकर्ताओं को जीत का टास्क दिया। दरअसल पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। पार्टी 240 सीटों पर अटक गई थी। इसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। इन राज्यों की जीत से पार्टी में नई ऊर्जा आई है। अब बीजेपी का अगला लक्ष्य बिहार है। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। इसी को लेकर अमित शाह ने खास रणनीति बनाई है। अमित शाह का दो दिन का बिहार दौरा बहुत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने बिहार में कई कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और एनडीए के सहयोगियों के साथ बातचीत की। अमित शाह ने बीजेपी के 84 विधायकों को अगले छह महीनों के लिए बूथ प्रबंधन पर ध्यान देने का काम सौंपा है। इस काम में बीजेपी के पदाधिकारी उनकी मदद करेंगे।

GkHub.in

बिहार में महाराष्ट्र वाली रणनीति

अमित शाह ने बिहार बीजेपी के नेताओं से बात करते हुए कहा कि पार्टी को उन बूथों पर ध्यान देने की जरूरत है, जहां बीजेपी के पारंपरिक वोटर बिल्कुल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा ही किया था। इससे पार्टी को बहुत फायदा हुआ था। पार्टी का वोट बैंक बढ़ा। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि बूथ मैनेंजमेंट के अलावा वेल्फेयर स्कीम (कल्याणकारी योजनाएं) के लाभार्थी बीजेपी की चुनावी सफलता की अहम कड़ी रहे हैं। ऐसे में इन लोगों के लिए रणनीति के तहत काम किया जाए।

पीएम मोदी करेंगे हर महीने बिहार का दौरा?

अमित शाह ने बीजेपी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ लगातार दो बैठकें कीं। उन्होंने एक मजबूत एनडीए के बारे में बात की। इसमें उन्होंने जेडीयू के चीफ और सीएम नीतीश कुमार का जिक्र किया। अमित शाह ने सहयोगियों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों तक लगभग हर महीने राज्य का दौरा करेंगे।

बूथ स्तर पर काम करने का मतलब क्या?

बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बूथ स्तर पर काम करने का मतलब है बूथवार परिणामों का अध्ययन करना। साथ ही स्थानीय सरकारी अधिकारियों से आयुष्मान भारत, पीएम उज्ज्वला योजना और पीएम आवास योजना जैसी योजनाओं को लागू करवाकर मतदाताओं को वापस जीतना है। इसका मतलब है कि हर बूथ पर कितने वोट मिले, इसका हिसाब रखना है और यह देखना है कि सरकारी योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं।

सियासी शतरंज में प्लान 'नामचीन'

बिहार की राजनीति में भले ही काफी उथल-पुथल वाली स्थिति है, मगर भाजपा इन दिनों बड़े सधे ढंग से चुनावी गोटियां फिट करने में लगी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भाजपा के रणनीतिकार अब तक चुनाव न लड़ने वाले और शीर्ष पदों पर काबिज नेताओं के साथ कुछ विधान परिषद के सदस्यों को भी चुनावी समर में भेजे जाने की तैयारी कर ही रहे है। साथ ही उन नामचीन नेताओं को भी आगामी विधानसभा चुनाव में उतारने जा रही है जो लोकसभा की जंग हार चुके हैं। आइये जानते हैं कौन हैं विधानसभा चुनाव 2025 के चुनावी जाबांज!

सम्राट चौधरी

सम्राट चौधरी 1990 में सक्रिय राजनीति में हैं। 19 मई 1999 को उन्होंने बिहार सरकार में कृषि मंत्री के पद की शपथ ली। सन 2000 और 2010 में परबत्ता विधानसभा से चुनाव लड़ा और विधायक निर्वाचित हुए। 2010 में उन्हें बिहार विधानसभा में विपक्षी दल के मुख्य सचेतक बनाया गया था। 2 जून 2014 को बिहार सरकार में शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री पद की शपथ ली और कार्यभार संभाला था। 2018 में भारतीय जनता पार्टी में उन्हें बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। वर्तमान में सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी से विधान परिषद के सदस्य हैं और अभी उपमुख्यमंत्री भी हैं।

शाहनवाज हुसैन

पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन और विधान परिषद के सदस्य शाहनवाज हुसैन भी विधानसभा के चुनावी जंग में उतर सकते हैं।

मंगल पांडेय

भाजपा के नामचीन नेता मंगल पांडेय एनडीए की सरकार में कई बार मंत्री बने हैं। स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग और कला संस्कृति विभाग को संभालने का मौका मिल चुका है। पार्टी के अध्यक्ष पद भी संभाल चुके हैं। आगामी चुनाव के एक उम्मीदवार के नाम इनका आ रहा है।

हरि सहनी

हरि सहनी बिहार सरकार में पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हैं ये अगस्त 2023 से फरवरी-2024 तक 6 महीने के लिए बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में भी काम किया था। ये 2022 से बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। ये दरभंगा भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़े पर बहादुरपुर विधानसभा से राजद के भोला यादव से हार गए थे।

लोकसभा के हारे विधानसभा के द्वारे

- **अश्विनी चौबे:** पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को भी विधान सभा के चुनावी जंग में उतारा जा सकता है। 2024 की लोकसभा चुनाव में बक्सर की सीट गवां बैठे थे। बीजेपी ने यहां से मिथिलेश कुमार तिवारी को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि ये चुनाव हार गए थे।
- **रामकृपाल यादव:** पाटलिपुत्र लोकसभा के सांसद रहे रामकृपाल यादव को भी विधानसभा के चुनावी जंग में उतारने की तैयारी चल रही है। रामकृपाल यादव लोकसभा 2024 की जंग में पाटलिपुत्र लोकसभा से राजद उम्मीदवार मीसा भारती से चुनाव हार गए थे।

बिहार में वक्फ बिल से शुरू होगा बीजेपी का '83 बनाम 17' का फॉर्मूला?

वक्फ संशोधन बिल वैसे तो अपने गठबंधन के सहयोगी दल के भरोसे भाजपा ने सदन के पटल पर रखने की जरूरत महसूस की। तब भी एक संशय खास कर सेक्युलर राजनीति की जड़ में टीडीपी और जदयू को लेकर बनी हुई थी लेकिन जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में बिहार एनडीए एकजुट हुआ, वह महागठबंधन की फजीहत का मार्ग खोलता दिखा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतनराम मांझी की पार्टियों ने भी इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को न केवल अपना समर्थन दिया, बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और जनता दल यू ने तो व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों को अगले दो दिनों तक सदन में उपस्थित रहने का निर्देश तक जारी कर दिया।केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तो एक कदम आगे बढ़ कर यह कह डाला कि जब वक्फ संशोधन बिल पास होगा, उस दिन देश के हर मुसलमान 'मोदी है तो मुमकिन' कहेंगे। यूपी की राजनीति पर गौर करें तो वहां जाति आधारित पार्टियों का स्वभाव बदला है। मुस्लिम मतों को टेकेन फॉर ग्रांटेड के चक्कर छोड़ कर भाजपा ने हिंदुत्व के नाम पर पिछड़ा, अतिपिछड़ा और दलित को राजनीतिक भागीदारी देकर एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत की, जहां भाजपा पर सवर्ण और वैश्य का ठप्पा जो लगा था, उसका विस्तार शामिल हुआ और यूपी फतह की कहानी शुरू हुई।बिहार एनडीए खास कर भाजपा ने 'सबका साथ, सबका विश्वास' के नारों के साथ भाजपा की सूरत बदलनी शुरू की। हाल फिलहाल में सवर्ण और वैश्य को छोड़ कर अतिपिछड़ा, पिछड़ा समाज के साथ खड़ा होने की कोशिश भी की। गौर करें तो शंभु पटेल, भीम सिंह, सम्राट चौधरी जैसे लोगों की भागीदारी बढ़ाई गई।

ये सारे वो लोग थे, जो संघी बैक ग्राउंड के नहीं थे। ये सारे लोग दूसरी पार्टियों के आयतित नेता हैं। इनसे गरीब तबके का भरोसा भाजपा हासिल करने में सफल रही। गत दिनों जब उपचुनाव हुए तो राजद का भारी नुकसान उठाना पड़ा था। राजद सुप्रीमो लालू यादव के हाथ से तो वे दो सीटें निकल गईं, जो उनका गढ़ थीं। रामगढ़ से राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बेटा और बेलागंज से सुरेंद्र यादव का बेटा उपचुनाव में हार गए।

छत्तीसगढ़ में चुनाव हारने वालों को निगम मंडल में पद

गौरीशंकर ने पद ठुकराया, कहा... मैं इस लायक नहीं, ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन-फिल्म विकास निगम पर फैसला नहीं

36 में 15
ओबीसी-4 एसटी, 3 अल्पसंख्यक, सतनामी समाज से कोई नहीं

रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने निगम मंडल, बोर्ड और आयोग में अध्यक्ष पदों की सूची जारी कर दी है। प्रदेश भाजपा के 36 नेताओं को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे पद दिए गए हैं। इनमें से 15 ओबीसी वर्ग के नेता हैं। सतनामी समुदाय से किसी नेता को जगह नहीं मिली है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी भी जताई है। लिस्ट में 3 अल्पसंख्यक और 4 आदिवासी नेता भी शामिल हैं। खास बात यह है की सूची में शामिल बड़े निगम मंडल उन नेताओं को दिए गए हैं, जिन्हें पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। सूची सामने आने के बाद बहुत से नेता और कार्यकर्ता खुले तौर पर तो कुछ दबी जुबान में अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं।

निगम, मंडल और आयोग में नियुक्ति के दौरान जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को भी साधा गया है। बीजेपी ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली का दौरा किया था। इस दौरे में उन्होंने पार्टी के सीनियर नेताओं से मुलाकात की थी। नियुक्तियों की बात करें तो भूपेंद्र सवन्नी को क्रेडा, संजय श्रीवास्तव को नान, सौरभ सिंह को खनिज विकास निगम और दीपक म्हस्के को CGMSC की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि केदार गुप्ता को दुग्ध महासंघ की जिम्मेदारी सौंपी गई है ।इसके अलावा राजीव अग्रवाल को छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलॉपमेंट कार्पोरेशन का चेयरमेन बनाया गया है। ब्रेवरेज कॉरपोरेशन और फिल्म विकास निगम का फैसला नहीं लिया जा सका है।

संगठन के कार्यक्रमों में जो सक्रिय रहे उन्हें तवज्जो

सूची को लेकर भारतीय जनता पार्टी सूत्रों का कहना है कि सक्रिय तौर पर संगठन के कामों में शामिल रहे नेताओं को निगम मंडल में तवज्जो दी गई है। संगठन का सदस्यता अभियान, पिछली कांग्रेस सरकार के समय के किए गए आंदोलन में भूमिका, निकाय चुनाव में अलग-अलग जीत दिलाने वालों को पद दिए गए हैं ।संजय श्रीवास्तव, श्रीनिवास राव मद्दी, अमरजीत सिंह छाबड़ा जैसे नेताओं को पार्टी में अलग-अलग कार्यक्रमों में बेहतर प्रदर्शन की वजह से निगम मंडल में जगह मिली है। निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज रहे कुछ नेताओं को भी एडजस्ट किया गया है।

चुनाव हारने वालों को जिम्मा

रायपुर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नंदकुमार साहू को बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर ग्रामीण विधानसभा सीट से चुनाव हार चुके साहू को यह पद दिया गया है। राजीव अग्रवाल पार्षद का चुनाव हार चुके हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है ।अनुराग सिंहदेव भी पिछला विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। कभी बहुजन समाज पार्टी और फिर कांग्रेस में रहे सौरभ सिंह को खनिज विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। सौरभ 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस से हार चुके हैं ।इन नेताओं को संगठन ने पिछले करीब 5 महीनों से अलग-अलग कार्यक्रमों का प्रभारी बनाकर जिम्मेदारी भी दी थी।

प्रमुख पद और जिम्मेदारियां

भूपेंद्र सवन्नी	अध्यक्ष, क्रेडा
शालिनी राजपूत	अध्यक्ष, समाज कल्याण बोर्ड
सौरभ सिंह	अध्यक्ष, खनिज विकास निगम
राजा पांडेय	अध्यक्ष, पाठ्य पुस्तक निगम
राजीव अग्रवाल	अध्यक्ष, औद्योगिक विकास
नीलू शर्मा	अध्यक्ष, पर्यटन मंडल
संदीप शर्मा	अध्यक्ष, खाद्य आयोग
अनुराग सिंह देव	अध्यक्ष, गृह निर्माण मंडल
केदारनाथ गुप्ता	अध्यक्ष, दुग्ध महासंघ
संजय श्रीवास्तव	अध्यक्ष, नान
नंदकुमार साहू	अध्यक्ष, आरडीए
रामप्रताप सिंह भवन	अध्यक्ष, अन्य सन्निर्माण, कर्मकार मंडल
श्रीनिवास राव	अध्यक्ष, मद्दी वित्त आयोग
रामसेवक पैकरा	अध्यक्ष, वन विकास

श्रीवास ने पद छोड़कर छेड़ी बहस

गौरी शंकर श्रीवास ने खुले तौर पर निगम मंडल में दिए गए पद को ठुकरा दिया है। गौरी शंकर श्रीवास को छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने इसे लेकर सोशल मीडिया पर लिखा कि पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि जिसे उठाने में मेरे कंधे असमर्थ हैं। इसलिए पद स्वीकार नहीं संगठन के कार्यकर्ता के रूप में ठीक हूं धन्यवाद। इस सोशल मीडिया पोस्ट ने नई बहस को जन्म दे दिया है, भाजपा के कई नाराज कार्यकर्ता और नेता श्रीवास के समर्थन में आ गए हैं।

जो चर्चा में नहीं थे वह लौटे

निगम मंडल की सूची में एक नाम चौंकाने वाला था और वह था प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा का। लंबे वक्त से सक्रिय राजनीति से करीब करीब गायब रहे, अचानक निगम मंडल की सूची में उनका नाम हैरान कर गया। रामसेवक पैकरा को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। इनके अलावा सूची में विकास मरकाम, रामप्रताप सिंह, सुरेंद्र कुमार बेसरा भी वो आदिवासी नेता हैं, जिन्हें निगम-मंडल में पद मिले हैं। पैकरा और रामप्रताप सिंह को वापस सक्रिय करने के पीछे चर्चा यह है कि सरगुजा में शक्ति का संतुलन बनाए रखा जा सके ।सूची में दुर्ग जिले के बीजेपी नेता सरोज पांडेय के भाई राकेश पांडेय का नाम भी शामिल है। उन्हें छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है।

छत्तीसगढ़ में जल्द होगा साय मंत्रिमंडल का विस्तार

छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है। साय कैबिनेट में 3 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। जिन नामों की चर्चा है, उनमें बिलासपुर से अमर अग्रवाल, दुर्ग से गजेंद्र यादव, रायपुर से राजेश मूणत के अलावा बस्तर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव को मंत्रिमंडल मंडल में शामिल करने की चर्चा है ।हरियाणा की विधानसभा में भी 90 विधायक हैं। हरियाणा में बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री हैं। लिहाजा, हरियाणा के फॉर्मूले को छत्तीसगढ़ में भी लागू करते हुए 3 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि, छत्तीसगढ़ में राज्य बनने के बाद से 13 मंत्री ही बनते आए हैं, जबकि नियम के तहत विधयकों की संख्या के 15 प्रतिशत ही मंत्री बन सकते है। इस नियम के तहत 90 विधायकों में 13 मंत्री बन सकते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री भी हो सकते हैं ।साय कैबिनेट में अभी मुख्यमंत्री समेत 11 मंत्री हैं। सबसे ज्यादा सरगुजा संभाग से मंत्री हैं। रायपुर दुर्ग और बस्तर संभाग से मात्र एक-एक मंत्री हैं। इसलिए रायपुर से राजेश मूणत और अजय चंद्राकर का नाम चर्चा में है। वहीं, बस्तर से केदार कश्यप अकेले मंत्री हैं, ऐसे में बस्तर से प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का नाम भी सामने आ रहा है। बिलासपुर से रमन सरकार में मंत्री रहे अमर अग्रवाल का नाम चर्चा में है। इसके अलावा, यादव समाज को प्रतिनिधित्व देने दुर्ग से गजेंद्र यादव के नाम की चर्चा भी तेज है। गौरतलब है कि साय कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री थे। लेकिन लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से मुख्यमंत्री साय 10 मंत्रियों के साथ काम कर रहे हैं।

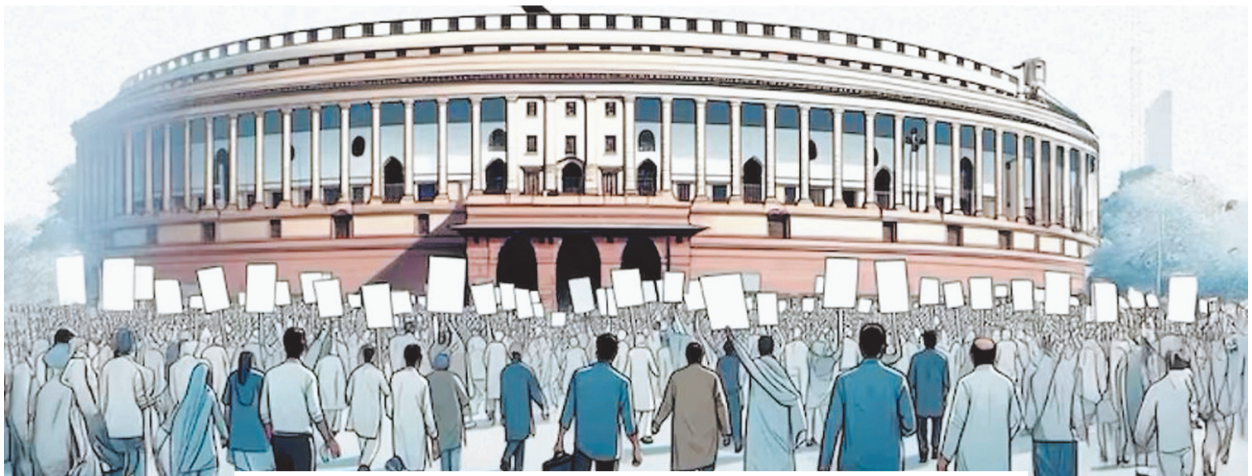

वक्फ बिल पारित होने के बाद बिहार चुनाव से पहले जेडीयू का विधेयक को सपोर्ट अहम

एनडीए में दिख रहे नए राजनीतिक समीकरण

नई दिल्ली। वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से आखिरकार पारित हो गया। बिल के पारित होने के बाद एनडीए में नए राजनीतिक समीकरण दिख रहे हैं। सभी राजनीतिक खेमे यह स्वीकार करते हैं कि यह विधेयक पारित करना, वह भी तब जब तीसरी बार मोदी सरकार सदनों में बीजेपी के अकेले बहुमत से वंचित है और बहुमत के लिए अपने सहयोगियों पर निर्भर है, गठबंधन राजनीति की गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।

इसकी वजह है कि विधेयक के पारित होने से अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित मुद्दों के प्रति सहयोगी दलों की प्रदर्शित राजनीतिक संवेदनशीलता पर पारंपरिक गठबंधन की बढ़त समाप्त हो गई है। बीजेपी के सहयोगी दल, विशेषकर टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी (रामविलास) वही सहयोगी दल थे जिन्होंने मुस्लिम भावनाओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता का हवाला देकर भाजपा के मूल वैचारिक मुद्दों को गठबंधन के ठंडे बस्ते में डालकर वाजपेयी सरकार को एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम तक सीमित रहने के लिए मजबूर किया था।

एनडीए सहयोगी दलों की भूमिका

बीजेपी के सहयोगी दलों, विशेषकर जनता दल (यूनाइटेड) [जेडीयू], तेलुगु देशम पार्टी [टीडीपी], और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) [एलजेपी], ने इस विधेयक का समर्थन किया है। जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' ने कहा कि यह विधेयक मुस्लिम विरोधी नहीं है और इसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाना है।टीडीपी के सांसद जी.एम. हरीश बलयोगी ने भी विधेयक का समर्थन किया, यह कहते हुए कि यह गरीब मुस्लिमों और महिलाओं की मदद करेगा और पारदर्शिता लाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हो, तो उनकी पार्टी विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजने के लिए तैयार है।

क्यों महत्वपूर्ण है वक्फ विधेयक का पारित होना?

इसलिए, मोदी सरकार की तरफ से गठबंधन संवेदनशीलता के माध्यम से वक्फ विधेयक (एक ऐसा विषय जिसकी धार्मिक पैमाने पर संवेदनशीलता अनुच्छेद 370, यूसीसी और ट्रिपल तलाक के बराबर है) को आगे बढ़ाने का राजनीतिक महत्व, दूसरी मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक को खत्म करने के विधेयकों को पारित करने से ज्यादा महत्वपूर्ण देखा जा रहा है।इसमें पिछली लोकसभा में बीजेपी ने भारी बहुमत का इस्तेमाल करके तत्कालीन सहयोगियों और तटस्थ लोगों की विरोध, सौदेबाजी और ब्लैकमेल करने की क्षमता को प्रभावी ढंग से बेअसर किया गया था। कुछ लोगों के लिए, यह दिखाता है कि कैसे गठबंधन राजनीति की गतिशीलता और सत्ता का बंधन, नए चुनावी धुरी के रूप में 'बहुमत संवेदनशीलता' की ओर बढ़ रहा है।

वक्फ बिल पारित होने के 3 संकेत

कई नेताओं का मानना है कि वक्फ विधेयक को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने से तीन कारकों का संकेत मिल सकता है; सबसे पहले, इस प्रकरण से विपक्ष की यह उम्मीद कम हो गई है कि एनडीए के सहयोगी वैचारिक मतभेदों के कारण तीसरी मोदी सरकार को खतरे में डाल सकते हैं। दूसरे, वक्फ विधेयक के पारित होने से सरकार को अपने लंबित वैचारिक एजेंडे – समान नागरिक संहिता – को अपनी राजनीतिक सुविधा के समय पर आगे बढ़ाने की इच्छा हो सकती है। तीसरे, गठबंधन के बढ़ते आत्मविश्वास से सरकार आर्थिक और शासन सुधार एजेंडे पर अधिक महत्वाकांक्षी रूप से कार्य कर सकती है, जिससे सहयोगी दलों को उचित शर्तों पर अधिक उदार बनाया जा सकता है।

तब लोजपा, टीडीपी ने वापस लिया था समर्थन

लोजपा, जिसने बिहार के मुस्लिम मतदाताओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता के कारण गुजरात दंगों के मुद्दे पर वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, ने अब बिहार चुनाव से पहले वक्फ विधेयक का समर्थन किया है। यह, ठीक उसी तरह है जैसे टीडीपी ने किया है। टीडीपी ने भी गुजरात मुद्दे के दौरान इसकी 'अल्पसंख्यक संवेदनशीलता' के कारण जोरदार विरोध किया था (वाजपेयी सरकार का समर्थन करते हुए भी) और बाद में आंध्र प्रदेश के विशेष दर्जे के मुद्दे पर पहली मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। हालांकि, बाद में बीजेपी नीत खेमें में वापस लौटने के लिए मजबूर हो गई थी।

एनडीए के सहयोगियों को किया सीमित

इस गठबंधन की पृष्ठभूमि ने साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में दोनों पक्षों के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा दिया है; बीजेपी और केंद्र के लिए, राजनीतिक और गठबंधन की जगह बनाने के लिए, और विपक्ष के लिए कुछ राजनीतिक हवा हासिल करने के लिए। वक्फ विधेयक के पारित होने से पहले संसद में हुए राजनीतिक खेल में, विपक्ष ने देखा कि कैसे मोदी सरकार के सत्ता-खेल ने एनडीए सहयोगियों को उनकी गठबंधन सीमाओं के भीतर सीमित कर दिया है।

बीजेपी के 'चाणक्य' ने ऐसा कौन सा दांव चला कि सहयोगी दल वक्फ बिल पर ना नहीं बोल पाए

गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। वक्फ संशोधन बिल जैसे विवादित विधेयक पर एक बार फिर शाह की 'नीति' काम आई और संसद भवन में सहयोगी दल से मुलाकात के बाद सदन में खेल का पासा ही पलट गया। अमित शाह की रणनीति का ही कमाल था कि मुस्लिम समर्थक मानी जाने वाली बीजेपी की सहयोगी पार्टियां वक्फ संशोधन बिल पर सरकार के साथ खड़ी रहीं। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड जैसी सेकुलर पार्टियों ने विवादास्पद वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया। इन दोनों दलों के इस फैसले ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने इस विवादित मुद्दे पर सहयोगियों का समर्थन हासिल करने के लिए काफी प्रयास किया था।

पर्दे के पीछे की रणनीति काम आई

परंपरागत रूप से माना जाता है कि टीडीपी और जेडी(यू) मुस्लिम समर्थन पर निर्भर करती हैं। इन दोनों पार्टियों ने मुसलमानों से संबंधित मुद्दों खासकर समान नागरिक संहिता जैसे मामलों पर बीजेपी से अलग रुख अपनाया है। लेकिन बताया जा रहा है कि पर्दे के पीछे की चर्चाओं ने बीजेपी को इन पार्टियों को विधेयक का समर्थन करने के लिए राजी कर लिया।

बीजेपी ने वक्फ संशोधन बिल की जरूरत बताई

अगस्त में विधेयक पेश करने से पहले सीनियर मंत्रियों ने टीडीपी और जेडी(यू) नेतृत्व को इसके महत्व के बारे में बताया था। बीजेपी के मंत्रियों ने सहयोगी दलों चिराग पासवान की लोक जनशक्ति और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल के नेताओं से भी विचार विमर्श किया। इसकी आवश्यकता को समझाया और इस बात पर जोर दिया कि इसका मकसद मुस्लिम हितों की रक्षा करना और महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना है, न कि समुदायों का ध्रुवीकरण करना जैसा कि विपक्ष ने आरोप लगाया है।

कुछ प्रावधानों से सहयोगी दल सहमत नहीं थे

हालांकि सहयोगी दल बीजेपी की बातों से सहमत थे लेकिन कुछ प्रावधानों को लेकर उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की थी। खासकर मौजूदा वक्फ संपत्तियों पर प्रभाव और राज्य सरकारों के अधिकारों को लेकर। इसके बाद, विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया, जिसने 14 संशोधनों को स्वीकार किया, जिसमें जेडी(यू) और टीडीपी के महत्वपूर्ण सुझाव शामिल थे। जेडी(यू) ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा मस्जिदों, दरगाहों या अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थलों के साथ हस्तक्षेप से बचने के लिए नए कानून को लागू नहीं किया जाना चाहिए।

सहयोगी दलों के सुझावों को सरकार ने माना

जेडीयू ने वक्फ भूमि पर निर्णय के लिए राज्यों से चर्चा करने पर भी जोर दिया, क्योंकि भूमि राज्य का विषय है। टीडीपी ने राज्यों की स्वायत्तता बनाए रखने की वकालत की और विवाद समाधान के लिए कलेक्टर लेवल से ऊपर के सीनियर अफसरों को नियुक्त करने और पोर्टल पर वक्फ से संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करने की समय-सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया।

संशोधित बिल में इन सुझावों को शामिल किया गया, जिसके कारण इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। जेडीयू और टीडीपी के नेताओं ने मुस्लिम महिलाओं और हाशिए के समुदायों के हितों को साधने की बात को लेकर विधेयक का समर्थन किया। एलजेपी और आरएलडी ने भी बिल का समर्थन किया है। लोकसभा में बिल पेश किए जाने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जेडीयू नेताओं ललन सिंह और संजय झा से संसद भवन में मुलाकात की और उन्हें बताया कि पार्टी के सुझावों को विधेयक में शामिल कर लिया गया है।

बीजेपी के सेकुलर दलों ने संसद में क्या कहा?

लोकसभा में बहस के दौरान ललन सिंह ने विधेयक का जोरदार समर्थन किया और इस चिंता को खारिज कर दिया कि यह मुस्लिम हितों के खिलाफ है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मुसलमानों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया और आगामी बिहार चुनावों के मद्देनजर कई बार उनका जिक्र किया।

इसी तरह, टीडीपी के केपी टेनेटी ने इस बात पर जोर दिया कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों के हित में कई फैसले लिए हैं। टीडीपी ने मुस्लिम महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों के हितों पर फोकस करते हुए बिल का समर्थन किया। एलजेपी,हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और आरएलडी सहित अन्य बीजेपी सहयोगियों ने भी इस रुख से सहमति जताई। बताया जा रहा है कि विधेयक पर सहयोगियों को साथ लेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरे से तीसरे कार्यकाल तक की नेतृत्व शैली में निरंतरता को दर्शाता है।

प्रगतिशील राष्ट्रीय पाक्षिक
मालव समाचार
इंदौर
15 अप्रैल 2025

दृढ़ता से आगे बढ़ती मध्यप्रदेश की जल संरक्षण यात्रा

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

जल गंगा संवर्धन अभियान

30 मार्च से 30 जून, 2025

"प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जल संरक्षण अभियान से प्रेरित मध्यप्रदेश में सरकार और समाज की साझेदारी से वर्षा जल की बूंद-बूंद बचाने का "जल गंगा संवर्धन" अभियान प्रारंभ हुआ है। जन, जल, जंगल, जमीन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए संकल्पित मध्यप्रदेश का यह अभियान जन आंदोलन बन रहा है।"

- डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

- लघु एवं सीमांत किसानों के लिए बनाये जायेंगे 50 हजार खेत-तालाब
- 90 दिनों में 90 लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का होगा लोकार्पण
- ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व वाले जल स्रोतों एवं देवालयों की सफाई के साथ होगा जीर्णोद्धार
- 1000 नए तालाबों का निर्माण एवं 50 से अधिक नदियों के वॉटर शेड क्षेत्र में जल संरक्षण एवं संवर्धन के होंगे कार्य
- अनुपयोगी तालाब, चेक डैम एवं स्टॉप डैम का जीर्णोद्धार एवं हर दिन एक जल संरचना का होगा लोकार्पण
- नर्मदा परिक्रमा पथ का चिन्हांकन कर जल संरक्षण एवं पौधरोपण की योजना
- ग्रामीण क्षेत्रों में पानी चौपाल का आयोजन, प्रत्येक गांव से महिला-पुरुषों का चयन कर तैयार किए जाएंगे 1 लाख जलदूत
- सीवेज का गंदा पानी जल स्रोतों में न मिले, इसके लिए सोक पिट निर्माण को प्रोत्साहन
- 54 जल संरचनाओं का संवर्धन एवं नहरों को विलेज-मेप पर "शासकीय नहर" के रूप में किया जाएगा अंकित
- बांध तथा नहरें होंगी अतिक्रमण मुक्त, करीब 40 हजार किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली की होगी साफ-सफाई
- सदानीरा फिल्म समारोह, जल सम्मेलन, प्रदेश की जल परंपराओं पर आख्यान, चित्र प्रदर्शनी समेत विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम होंगे आयोजित

आइये, मिलकर सहेजें अपने जल स्रोतों को

जल दूत के रूप में सहभागिता के लिए

mybharat.gov.in

पर पंजीयन करायें

D-19010/25

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2025

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक विनोद खुजनेरी द्वारा अपना देश प्रिंटर्स से अनुबंध पर 204 शेखर एवेन्यू, सांघी कॉलोनी, इंदौर 452001 से मुद्रित तथा प्रकाशित।
संपादक: विनोद खुजनेरी। मोबाइल: 98270-10709। आरएनआई पंजीयन क्रमांक 13186/67